झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–60 / 2020

नासिर अंसारी .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री अरूण कुमार, अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: श्री पी0डी0 अग्रवाल, ए0पी0पी0।

3 / 23.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्त्ता, एएचटीयू घाघरा थाना काण्ड संख्या 22 वर्ष 2018 तद्नुसार, एस0टी0 संख्या 199 वर्ष 2019 के सम्बन्ध में एक अभियुक्त है।

इससे पहले याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना को बी0ए0 संख्या 5063 वर्ष 2019 में खारिज कर दिया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्त्ता मानव तस्करी में शामिल था जिसके लिए वह 08.04.2019 से हिरासत में है।

अभिरक्षा की अवधि एवं पूर्व में किये गये सम्प्रेक्षण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त नामित अभियुक्त को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुमला के संतुष्टि पर एएचटीयू घाघरा थाना काण्ड संख्या 22 वर्ष 2018 तद्नुसार, एस0टी0 संख्या 199 वर्ष 2019 के सम्बन्ध में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)